(8) 56
(1)

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

सं0 राराविउनिलि/कार्मिक-II/पत्रा.68/प्रे0555 जयपुर, दिनांक 30-9-2002

आदेश

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की दिनांक 7.09.2002 को सम्पन्न 28वीं बैठक में पारित किए गये संकल्प के अनुसरण में निगम के कार्यकलापों से संबंधित सेवाओं और पदों पर नि:शक्त व्यक्तियों की भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाये जाते हैं :-

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड नि:शक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम,2002

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-

(1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड नि:शक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम,2002 है ।

(11) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, इन नियमों में -

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से वह अधिकारी अभिप्रेत है जो निगम द्वारा सुसंगत सेवा नियमों के अधीन इस रूप में नियुक्त किया गया हों,

(ख) ''नेत्रहीनता'' उस दृष्टि को निर्दिष्ट करती है जहां कोई व्यक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों से ग्रस्त है, अर्थात :-

(1) दृष्टि का पूर्णत: अभाव, या

(11) दृष्टि क्षमता समूचित लेंसों से बेहतर आंख से 6/60 या 20/200 (स्नेलन) से अनधिक या

(111)20 डिग्री या इससे खराब कोण के सम्मुख सीमित दृष्टि क्षेत्र

(ग) ''मस्तिष्क संबंधी फालिज (लकवा) '' (सेरेब्रल पालसी) से किसी व्यक्ति के मस्तिष्क अधिक्षेप या प्रसवपूर्व पेरिनाटल या शैशव काल में के विकास के दौरान हुई क्षतियों के परिणामस्वरूप असामान्य मोटर कन्ट्रोल पॉस्चर द्वारा बाधित आग्रतिशील (अविकसित) स्थितियों का समूह अभिप्रेत हैं ,

(घ) ''नि:शक्तता'' से

(1) अंधता या निम्न (कम) दृष्टि

(11) श्रवण शक्ति की क्षीणता और

(111) गति विषयक नि:शक्तता या मस्तिष्क संबंधी फालिज (लकवा) (सेरेब्रल पालसी) अभिप्रेत है

(ङ) ''निगम'' से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अभिप्रेत है,

(च) ''श्रवण शक्ति की क्षीणता'' से संवाद संबंधी संचरण की आवृत्तियों में अच्छे कान से 60 डेसीबेल या उससे अधिक की हानि अभिप्रेत है

(छ) ''गतिविषयक नि:शक्तता'' से अंगों के संचलन को पर्याप्त निर्बान्धित करने वाली अस्थियों, जोडों या मांसपेशियों की नि:शक्तता का या मस्तिष्क संबंधी फालिज (सेरेब्रल पालसी) का कोई भी रूप अभिप्रेत है,

(ज) ''चिकित्सा प्राधिकरण'' से राज्य सरकार द्वारा गठित तीन चिकित्सा अधिकारी वाला बोर्ड अभिप्रेत है जिनमें से कम से कम एक ऐसा विशेषज्ञ होगा जो अंधता, निम्न (कम) दृष्टि,श्रवण शक्ति की क्षीणता , गतिविषयक नि:शक्तता, या यथास्थिति , मस्तिष्क सबंधी फालिज (सेरिब्रल पालसी) को आंकने हेतु विशिष्ट क्षेत्र में सहआचार्य या कनिष्ठ विशेषज्ञ की रैंक के नीचे का न हो,

(झ) ''नि:शक्त व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित किसी नि:शक्तता से कम से कम चालीस प्रतिशत तक ग्रस्त हो,

(ण) ''निम्न (कम) दृष्टि वाला व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी दृष्टि क्षमता में उपचार या मानक विवर्तित (रिफ्रेक्टिव) सुधार के पश्चात भी ह्रास हो लेकिन जो योजना या किसी कार्य के निष्पादन हेतु समुचित सहायता युक्ति के साथ चश्मे का प्रयोग करता है या संभाव्यत:प्रयोग करने के लिए समर्थ है,

(ट) ''राज्य'' से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है,

(ठ) ''अनुसूचि'' से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है, और

(ड) ''वर्ष'' से प्रथम जनवरी से प्रारम्भ होने वाला और 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है ।

3. <u>पात्रता</u> :- निगम के कार्यकलापों से संबंधित विभिन्न सेवाओं या पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त किन्हीं सेवा नियमों या आदेशों में अंतर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, नि:शक्त व्यक्ति इन नियमों के नियम 4 के अधीन अधिकारी, लिपिक वर्गीय, चतुर्थ श्रेणी तथा अधिनस्थ तकनीकी सेवाओं में उनके लिए परिलक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे बशर्ते वे सुसंगत सेवा नियमों में अधिकथित अर्हताएं पूरी करते हों तथा उक्त सेवाओं के पदों के कर्तव्यों का पालन करने के लिए क्रियात्मक रूप से योग्य हों ।

4. <u>नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण</u> :- अनुसूची 1 में प्रत्येक नि:शक्तता के लिए परिलक्षित पदों पर या निगम के आदेश द्वारा किन्हीं भी नि:शक्तताओं के लिए परिलक्षित किसी अन्य पद पर रिक्तियों का तीन प्रतिशत नि:शक्त व्यक्तियों या नि:शक्त व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षित होगा जिसका एक प्रतिशत प्रत्येक निम्नलिखित से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा :-

(1) अंधता या निम्न (कम) दृष्टि,

(11) श्रवण शक्ति की क्षीणता,

(111)गति विषयक नि:शक्तता या मस्तिष्क संबंधी फालिज (सेरिब्रल पालसी) ।

और ऐसा आरक्षण क्षेतिज आरक्षण माना जायेगा ।

(10) 58
(3)

5. जहां किसी भर्ती वर्ष में नियम 4 के अधीन आरक्षित कोई रिक्ति उपयुक्त नि:शक्त व्यक्ति के उपलब्ध न होने के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से भरी नहीं जा सकती हो वहां ऐसी रिक्ति अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी और यदि अगले भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त नि:शक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है तो पहले इसे तीन प्रवर्गो में परस्पर परिवर्तन द्वारा भरा जा सकेगा और केवल तब ही जब उस वर्ष में पद के लिए नि:शक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो नियुक्ति प्राधिकारी, नि:शक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति की नियुक्ति करके रिक्ति को भरेगा ।

परन्तु यह कि किसी विभाग में रिक्तियों की प्रकृति यदि ऐसी है कि दिए गये प्रवर्ग का व्यक्ति नियोजित नहीं किया जा सकता हो तो रिक्तियां निगम के पूर्व अनुमोदन से तीन प्रवर्गो में परस्पर परिवर्तित की जा सकेगी ।

6. नि:शक्त व्यक्तियों के किसी प्रवर्ग के लिए उपयुक्त पाये गये किसी पद पर नियुक्ति हेतु किसी व्यक्ति का चयन करते समय यदि ऐसी नि:शक्तता वाले व्यक्ति तथा नि:शक्तता रहित व्यक्ति के बीच अन्य बातें समान हों तो ऐसे नि:शक्त व्यक्ति को उनके लिए निहित आरक्षण से भी अधिक अधिमान दिया जायेगा ।

7. **नि:शक्तता प्रमाण–पत्र** :- (1) नि:शक्तता प्रमाण पत्र चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा राजस्थान नि:शक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 में दिये गये प्रारूप में जारी किया जायेगा ।

(2) किन्हीं सेवा नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे नि:शक्त व्यक्ति , जो अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट किन्हीं आरक्षित या परिलक्षित पदों पर नियुक्त होते हैं, निगम सेवा में प्रथम प्रवेश पर संबंधित सेवा नियमों में यथा उपबंधित सामान्य चिकित्सा परीक्षा के अध्यधीन नही होंगे ।

8. **आयु में शिथिलीकरण** :- अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर या निगम के आदेश द्वारा किन्हीं नि:शक्तताओं के लिए परिलक्षित तथा नियम 4 के अधीन आरक्षित किसी अन्य पद पर नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को, सुसंगत सेवा नियमों के अधीन पहले से ही विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित रूप में शिथिलीकृत किया जा सकेगा :-

(1) सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष,
(2) अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष, और
(3) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यार्थियों के लिए 15 वर्ष

परन्तु असाधारण कष्ट के मामलों में निगम आयु सीमा को आगे और शिथिल कर सकेगा ।

9. **यात्रा व्यय** :- नि:शक्त व्यक्ति नियोजन हेतु साक्षात्कार, परीक्षण या परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आने और जाने की यात्रा हेतु द्वितीय श्रेणी के रेल भाड़े या यथास्थिति, वास्तविक साधारण बस भाड़ें की सुविधा का उपभोग कर सकेंगे ।

10. **नियोजित व्यक्ति यदि बाद में नि:शक्त हो जाये** :- निगम की सेवा में पहले से ही नियोजित ऐसे व्यक्ति जो नि:शक्त हो जाएं वे भी नियम 4 के अधीन आरक्षण हेतु इन नियमों के नियम 7 में उपबंधित शारीरिक तथा चिकित्सीय परीक्षा से छूट प्राप्त करने के हकदार होंगे और

निगम के अनुमोदन से किसी अन्य वैकल्पिक पद पर, जिसके लिए इन नियमों के अधीन वे पात्र हों, आमेलित या समायोजित किए जाने के भी हकदार होंगे ।

11. चिकित्सीय परीक्षा हेतु फीस :- इन नियमों के अधीन नि:शक्त व्यक्तियों द्वारा किसी भी चिकित्सीय परीक्षा या उन्हें प्रमाण-पत्र के दिए जाने के लिए किसी चिकित्सा प्राधिकारी की कोई फीस होगी तो उसका पुर्नभरण निगम द्वारा किया जायेगा ।

12. शंकाओं का निराकरण :- यदि इन नियमों के लागू होने, निर्वचन और इनकी व्याप्ति के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो जाए तो मामला निगम के कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग को निर्देशित किया जायेगा, जिस पर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का विनिश्चय अंतिम होगा ।

13. निरसन और व्यावृत्ति :- राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का नियोजन नियम, 1980 और इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों से संबंधित आदेश, इसके द्वारा निरसिंत किए जाते हैं । परन्तु इस प्रकार निरंसित किए गये नियमों और आदेशों के अधीन किए गये कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के उपबंधों के अधीन किए गये या की गई समझी जावेगी ।

संलग्न : अनुसूची - 1

आदेशानुसार,

30.9.02
(एस0के0कल्ला)
उप मुख्य अभियंता (वाणिज्य)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य अभियंता/अति.मुख्य अभियंता/उप मुख्य अभियंता ( ),रा.रा.वि.उ.नि.लि.,-----।
2. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, रा.रा.वि.उ.नि.लि., जयपुर ।
3. मुख्य लेखाधिकारी, रा.रा.वि.उ.नि.लि.,जयपुर।
4. अधीक्षण अभियंता ( ), रा.रा.वि.उ.नि.लि., --------।
5. कम्पनी सचिव, रा.रा.वि.उ.नि.लि., जयपुर ।
6. उप निदेशक कार्मिक/कार्मिक अधिकारी ( ), रा.रा.वि.उ.नि.लि., --------।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी,( ) रा.रा.वि.उ.नि.लि., --------।
8. जन सम्पर्क अधिकारी, रा.रा.वि.उ.नि.लि., जयपुर।
9. अधिशासी अभियंता ( ), रा.रा.वि.उ.नि.लि:, --------।
10. सहायक सचिव ( ), रा.रा.वि.उ.नि.लि., --------।
11. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक , रा.रा.वि.उ.नि.लि., --------।

30/9/2002
(आलोक शर्मा)
उप निदेशक कार्मिक - II

(12)

अनुसूची – 1

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

क्रम सं.	पद का नाम	नि:शक्तता की प्रकृति जिसके लिए पद परिलक्षित है
1.	जन सम्पर्क अधिकारी	ओ एल, ओ ए, आई सी
2.	कार्मिक अधिकारी	ओ एल, ओ ए, आई सी, पी डी
3.	विधि अधिकारी	ओ एल, ओ ए, आई सी, पी डी
4.	लेखाधिकारी	ओ एल, आई सी, एम डब्ल्यू, एफ टी, पी डी
5.	सहायक विधि अधिकारी	ओ एल, ओ ए, आई सी, पी डी
6.	सहायक जन सम्पर्क अधिकारी	ओ एल, ओ ए, आई सी
7.	सहायक कार्मिक अधिकारी	ओ ए, ओ एल, आई सी, पी डी
8.	विधि सहायक	ओ ए, ओ एल, आई सी, पी डी
9.	कनिष्ट अभियंता - प्रथम	ओ ए, ओ एल,
10.	कनिष्ट अभियंता - द्वितीय	ओ ए, ओ एल,
11.	कनिष्ठ लिपिक	बी.एल., ओ ए ,एफ टी, एम डब्ल्यू, आई सी ,पी डी, डी
12.	कनिष्ठ लेखाकार	ओ.एल., ओ ए ,एफ टी, एम डब्ल्यू, आई सी ,पी डी,
13.	लेखाकार	ओ.एल., ओ ए ,एफ टी, एम डब्ल्यू, आई सी, पी डी,
14.	सांख्यिकी	बी.एल., ओ ए ,एफ टी, एम डब्ल्यू, आई सी, पी डी,
15.	संगणक	बी.एल., ओ ए ,एफ टी, एम डब्ल्यू, आई सी ,पी डी,
16.	ड्राफ्टसमैन	बी.एल., एफ टी, एम डब्ल्यू, आई सी , डी,
17.	ट्रेसर	बी.एल.,एफ टी, एम डब्ल्यू, आई सी ,डी,
18.	फैरोमैन	बी.एल.,एफ टी, एम डब्ल्यू, आई सी, डी,
19.	चपरासी	ओ.एल., ओ ए , एम डब्ल्यू, आई सी,पी बी, पी डी,
20.	स्वीपर	ओ.एल., आई सी, पी बी , पी डी,
21.	गार्डनर	ओ.एल., आई सी, पी बी , डी,

टिप्पण : इस अनुसूची में दर्शायी गई अक्षमता की प्रकृति से निम्नलिखित अभिव्यक्त है :-

1	बी.एल.	दोनों टांगें प्रभावित लेकिन बांहे नहीं
2	ओ. एल.	एक टांग प्रभावित
3	ओ. ए.	एक बांह प्रभावित
4	एफ. टी.	सहन करने का सीमित अभ्यास , जल्दी थकान
5	एम.डब्ल्यू.	मांसपेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक क्षमता
6	आई. सी.	चलने फिरने में सामान्य असमानता
7	पी. बी.	अंशत: नेत्रहीन
8	डी.	बधिर
9	पी.डी.	अंशत: बधिर - साथ में श्रवण यंत्र का उपयोग

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड़

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
कॉरपोरेट आईडेन्टिटी नम्बर (सी.आई.एन.)–U40102RJ2000SGC016484
पंजीकृत कार्यालय एवं मुख्यालयः विद्युत भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर–302005

क्रमांक : राराविउनि./का0 एवं प्र0/प0 /प्रे. 390 दिनांक : 01-09-2016

आदेश

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड़ ने दिनांक 30.08.2016 को आयोजित निदेशक मण्डल की छठी बैठक में, राज्य के पांचों विद्युत निगमों में सहायक अभियन्ता के पद पर सीधी भर्ती में निःशक्त व्यक्तियों को नियोजन में तीन (3) प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है।

तद्नुसार, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड़ के पूर्णकालिक सदस्यों ने "राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड़ निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन, नियम 2002" के साथ संलग्न "अनुसूची–1" की प्रथम तालिका में क्रम संख्या–22 पर निम्न प्रविष्टि को जोड़ने का निर्णय लिया है :–

क्रम संख्या	पद का नाम	निःशक्तता की प्रकृति जिसके लिए पद परिलक्षित है
22	सहायक अभियन्ता	बी.एल., ओ.एल., ओ.ए.

यह आदेश निगम के निदेशक मण्डल के अनुसमर्थन की दशा में जारी किये जाते हैं।

आज्ञा से,

11/9/2016.

(आलोक शर्मा)
संयुक्त निदेशक (का. एवं प्रशा.)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1. निदेशक (परियोजनाएं/ तकनीकी /वित्त), राराविउनि, जयपुर।
2. मुख्य/अतिरिक्त / उप मुख्य आभियंता ( ), राराविउनि,
3. मुख्य लेखा नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी ( ), राराविउनि,
4. कम्पनी सचिव, राराविउनि, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक (कार्मिक), राराविउनि, कोटा
6. अधीक्षण अभियंता ( ), राराविउनि,
7. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, राराविउनि, जयपुर।
8. उपनिदेशक कार्मिक /कार्मिक अधिकारी/ सहायक सचिव/ सहायक कार्मिक अधिकारी ( ), राराविउनि,
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी ( ), राराविउनि
10. सहायक अभियंता (वेबसाईट मोनिटरिंग), राराविउनि, जयपुर को आदेश अपलोड करने हेतु।

नासिर 11/9/2016

(मो. नासिर)
कार्मिक अधिकारी (संस्थापन–प्रथम)